

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940

No. 51081

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6362(अ).—जबिक केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित में यह समीचीन है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), की प्रथम अनुसूची में 'रसायनिक उर्वरक उद्योग' जोड़ा जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, उसकी मद सं. 32 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ती है, अर्थात् :-

"33. रसायनिक उर्वरक उद्योग"।

[फा.सं. एस-11017/6/2011-आईआर (पीएल)] कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 6362(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest to add to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the 'Chemical Fertilizer industry'; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby adds the following item to the First Schedule to the said Act, after item 32 thereof, namely:---

"33. Chemical Fertilizer industry".

[F.No.S-11017/6/2011-IR(PL)]
KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6363(अ).—जबिक केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि 33 के अधीन आने वाली, रसायनिक उर्वरक उद्योग में सेवा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित की जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त उद्योग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 6363(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the service in the Chemical Fertilizer industry, which is covered by entry 33 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F.No. S-11017/6/2011-IR(PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.